फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 191/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/240) **ग्राम पंचायत पोटलाकला बनाम तहसीलदार भदेसर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2025	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. **ग्राम पंचायत पोटलाकला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पोटलाकला, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर बप्रकरण संख्या 56/2022 निर्णय दिनांक 09.09.024 (अनवान ग्राम पंचायत पोटलाकला बनाम तहसीलदार भदेसर)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 21.01.2025 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर बप्रकरण संख्या 56/2022 निर्णय दिनांक 09.09.024 (अनवान ग्राम पंचायत पोटलाकला बनाम तहसीलदार भदेसर) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत पोटलकाला की आवंटनशुदा आबादी भूमि ग्राम भागल पटवार हल्का पोटलाकला तहसील भदेसर के साबिक आराजी संख्या 62/2 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आराजी संख्या 62/8 रकबा 5 बीघा, जिस बाद भूप्रबन्ध से नवीन आराजी संख्या 107 रकबा 1.18 हेक्टेयर कायम किये गये, जिसके राजस्व रेकर्ड में मनमुताबिक परिवर्तन कर राजस्व नक्शे एवं साबिक नक्शे में गंभीर त्रुटि कारित की है, जो सुधार योग्य है। ● अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 07.11.2022 से स्वीकार कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती के आदेश प्रसारित किये गये। ● तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा अभिलेख पर त्रुटि प्रकट होने से तहसीलदार, भदेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी का प्रस्तुत होने पर उक्त निर्णय दिनांक 07.11.2022 को संशोधित करते हुए संशोधित निर्णय दिनांक 09.09. 2024 पारित करते हुए यह पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए निर्णय दिनांक 07.11.2022 से अनुतोष प्राप्त कर लिया, जिसमें संशोधित किया जाता है कि ग्राम भागल पटवार हल्का पोटलाकला की साबिक आराजी नम्बर 62/2 रकबा 09 बिस्वा एवं आराजी संख्या 62/8	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 191/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/240) **ग्राम पंचायत पोटलाकला बनाम तहसीलदार भदेसर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रकबा 4 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी 107 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि के राजस्व नक्शे में यदि किसी प्रकार त्रुटि कारित की गई हो तो साबिक नक्शे अनुसार अपेक्षित शुद्धि की जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के उक्त निर्णय दिनांक 09.09.2024 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 17.01.2025 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजीयात ग्राम पंचायत को आवंटन हुई, उसी अनुसार पंचायत द्वारा आबादी भूमि में लोगों को पट्टे जारी किये गये और भूमि आबादी होने से लोग मकान एवं बाडे बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है। लेकिन भूप्रबन्ध अधिकारियों द्वारा सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी का रकबा 1.33 हैक्टेयर के बजाय 1.16 हैक्टेयर ही दर्ज किया एवं इसी प्रकार नक्शे को भी छोटा कर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में त्रुटि कारित कर दी जिस सुधार करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 एलआर एक्ट का पेश किया गया। जिस अधीनस्थ न्यायालय बाद जांच निर्णय दिनांक 07.11.2022 को पारित कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती के आदेश पारित किये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तहसीलदार के प्रार्थना पत्र 151 व 152 सीपीसी के आधार पर 2 वर्ष उपरान्त निर्णय दिनांक 07.11.2022 में संशोधन करते हुए एक प्रशासनिक आदेश दिनांक 09.09.2024 को पारित कर दिया गया और किए गये इन्द्राज दुरस्ती का पुनः निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया और न ही कोई नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन का कानून के अनुसार प्रस्तुतीकरण नहीं हुआ, न ही आवेदन की जांच कर दर्ज किये जाने का आदेश हुआ। इस आवेदन के आधार पर कानूनी नियम एवं प्रक्रिया के अर्न्तगत किसी प्रकार के फर्दअहकाम पर नहीं लिया गया, इस तरह बिना कोई प्रक्रिया अपनाये पारित आदेश काबिल निरस्त के है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2022 की पालना किये जाने उपरान्त उक्त आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के संशोधित निर्णय दिनांक 09.09.2024 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.09.2024 को पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा अभिलेख पर त्रुटि प्रकट होने से तहसीलदार, भदेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी का प्रस्तुत होने पर उक्त निर्णय दिनांक 07.11.2022 को संशोधित करते हुए संशोधित निर्णय दिनांक 09.09.2024 पारित करते हुए यह पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए निर्णय दिनांक 07.11.2022 से अनुतोष प्राप्त कर लिया, जिस पर जांच उपरान्त संशोधित निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी केवल सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का आक्षेप प्रस्तुत कर रहा है, आप न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 191/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/240) **ग्राम पंचायत पोटलाकला बनाम तहसीलदार भदेसर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सभी शक्तियां राजस्व नियमावली अनुसार निहित है तो अपीलार्थी को गुणावगुण पर दस्तावेज पेश करने चाहिए जो वास्तवित त्रुटि को प्रदर्शित करे, प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष भी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है, ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 07.11.2022 से स्वीकार कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती के आदेश प्रसारित किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा अभिलेख पर त्रुटि प्रकट होने से तहसीलदार, भदेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी का प्रस्तुत होने पर उक्त निर्णय दिनांक 07.11. 2022 को संशोधित करते हुए संशोधित निर्णय दिनांक 09.09.2024 पारित करते हुए यह पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए निर्णय दिनांक 07.11. 2022 से अनुतोष प्राप्त कर लिया, जिसमें संशोधित किया जाता है कि ग्राम भागल पटवार हल्का पोटलाकला की साबिक आराजी नम्बर 62/2 रकबा 09 बिस्वा एवं आराजी संख्या 62/8 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी 107 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि के राजस्व नक्शे में यदि किसी प्रकार त्रुटि कारित की गई हो तो साबिक नक्शे अनुसार अपेक्षित शुद्वि की जावें। उपखण्ड अधिकारी, भेदसर के निर्णय दिनांक 09.09.2024 से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का प्रमुख उज्र यह रहा है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उक्त आक्षेपों का न्यायालय हाजा द्वारा परिक्षण किया। हस्तगत प्रकरण में यदि यह मान भी लिया जावें कि अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो भी अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलार्थी गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्वि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 191/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/240) **ग्राम पंचायत पोटलाकला बनाम तहसीलदार भदेसर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपखण्ड अधिकारी को भूअभिलेख अधिकारी को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आक्षेप निराधार होकर स्वीकार्य योग्य नहीं है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वास्तविक रकबे को गलत बताते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए 15 बिस्वा अधिक के राजस्व नक्शा में शुद्वि की दाद प्राप्त कर ली गई है, जो विधि अनुकुल नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151, 152 सीपीसी की कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2024 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी, R.A.S.)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर